

मुख्य वनसंरक्षक की संक्षिप्त टीप

छिंदवाड़ा वन वृत्त के पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल के जामई वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 454 में 14.00 हे. वन भूमि की भारत कालरी उपरीतल कोयला खदान हेतु वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कन्हान क्षेत्र डुंगरिया द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उक्त उल्लेखित प्रस्तावित एरिया वर्तमान में छिंदवाड़ा परियोजना मंडल वन विकास निगम के अधिपत्य में है। कक्ष क्रमांक आर.एफ. 454 में 140.00 हे. वर्ष 1995 से वन विकास निगम के पास है। वर्ष 1996 में निगम द्वारा कुल 140.00 हे. में से 105 हे. नेट एरिया में सागौन वृक्षारोपण कर 262500 पौधे रोपित किये गये। निगम द्वारा लेख किया गया है कि वृक्षारोपण प्रबंधन के अंतर्गत कूप डालकर वानिकी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, यदि उक्त वनक्षेत्र किसी अन्य एजेंसी को उपयोग हेतु दिया जाता है, तो निश्चित ही वन वर्धनिक कार्य तथा परिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिये उक्त क्षेत्र वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को दिया जाना उचित नहीं होगा।

वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा द्वारा उक्त क्षेत्र वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को देने हेतु अनुशंसा की गयी है।

उक्त क्षेत्र से लगा 19.50 हे. वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को भारत सरकार द्वार 17.01.17 से स्वीकृत है, जिससे अधिरोपित शर्त के तहत बाहरी सीमा से 100 मीटर के क्षेत्र/घेरे में कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 2656 पौधे पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल द्वारा रोपित किये गये जिसमें अभी तक 4.65 लाख रु. व्यय हो चुका है।

उक्त क्षेत्र की संरक्षित वनक्षेत्रों से दूरी निम्नुसार है:-

1. सतपुड़ा टाईगर रिजर्व - 22 कि.मी. (लगभग)
2. पेंच टाईगर रिजर्व - 77 कि.मी. (लगभग)
3. पचमढ़ी बायोस्फियर - 10 कि.मी. (लगभग)
4. पेंच एवं सतपुड़ा टाईगर कारीडोर - 11 कि.मी. (लगभग)

(नोट:- उक्त दूरी सर्वे आफ इंडिया की टोपो शीट से एरियल दूरी ली गयी है जो अनुमानित है)

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुये प्रस्तावित एरिया 14.00 हे. वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को नहीं दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(डॉ. यू. के. सूबुद्धि 3/7/18)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त